



पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक २
PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA NO.2
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय)
(An Autonomous Body Under Ministry of Education, Govt. of India)
तोपखाना बाजार, भगत रोड
TOPKHANNA BAZAAR, BHAGAT ROAD
जालंधर छावनी पंजाब, पिन-१४४०५१
JALANDHAR CANTT. PUNJAB, PIN-144005
दूरभाष: ०१८१-२२६२१४१ /PHONE: 0181-2262141
ईमेल: /EMAIL: kv2jcantt@gmail.com
वेबसाइट/ WEBSITE: <https://no2jalandhar.kvs.ac.in/>

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव



F.No CBSE-2/KVS-2/2026-27/

Date: 05.08.2026

प्रमाण पत्र

केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 2 जालंधर छावनी केन्द्रीय विद्यालय संगठन (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीनस्थ स्वायत्त संस्थान) के अंतर्गत कक्षा 12 तक कार्य कर रहा है। केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 2 जालंधर छावनी के संबद्ध में प्रमाणित किया जाता है।

1. केन्द्रीय विद्यालय संगठन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 के XXI) के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है। संगठन का प्राथमिक उद्देश्य पूरे भारत और विदेशों में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों को स्थापित करना, बंदोबस्त करना, नियंत्रण करना तथा प्रबंधित करना है। संगठन के पास तीन स्तरीय प्रबंधन संरचना है जिसके (I) मुख्यालय (II) क्षेत्रीय कार्यालय लगभग 45-50 स्कूलों के समूह का प्रबंधन करते हैं और (III) केन्द्रीय विद्यालय पूरे देश और विदेशों में फैले हुए हैं। प्रत्येक में अपनी विद्यालय प्रबंधन समितियां हैं।

Kendriyan Vidyalaya Sangathan is registered as society under the Societies Registration Act (XXI of 1860). The primary aim of the sangathan is to provide, establish, endow, maintain control and manage the central schools (Kendriya Vidyalayas) located all over India and abroad. The Sangathan has three tier management structure with its (I) Headquarters (II) Regional Offices managing a cluster of about 45-50 schools and (III) Kendriya Vidyalayas spread all over the country and abroad each having their Vidyalaya Management Committees.

2. प्रदेश / केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अन्नापत्ति प्रमाण पत्र लागू नहीं है No Objection Certificate is not applicable by State/ UT Govt.
3. शि. का. अ. 2009 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र लागू नहीं है Recognition Certificate under RTE 2009 is not applicable.
4. संबद्धता के विस्तार के लिए डीईओ प्रमाणपत्र-स्व प्रमाणपत्र DEO certificate for Extension of affiliation -self certificate.


05/08/2026

प्राचार्य
प्राचार्य/PRINCIPAL
पीएम श्री के. वि. क्र. 2
PM SHRI K.V. NO. 2
जालंधर छावनी
JALANDHAR CANTT